



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022023-243789
CG-DL-E-22022023-243789

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 767]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2023/फाल्गुन 3, 1944

No. 767]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2023/PHALGUNA 3, 1944

कोयला मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023

का.आ. 800(अ).—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा कोयला मंत्रालय में 07 मई, 1960 को जारी पत्र सं. सी2-22/(1)/60 के जरिए भारत सरकार के आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

2. उक्त आदेश में, निबंधन और शर्तें संख्या (v) के पश्चात्, निम्नलिखित निबंधन और शर्तें शामिल की जाएंगी, अर्थात्:-

“(vi) खंड (4) के होते हुए भी, सरकारी कंपनी ऐसी निहित कुल भूमि में से खंड (vii) में यथा-निर्दिष्ट भूमि के उक्त भाग को, कोयला मंत्रालय में तारीख 22 अप्रैल, 2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 43022/1/2020-एलएआईआर के जरिए भारत सरकार द्वारा जारी कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दे सकती है; और

(vii) तारीख 07 मई, 1960 के उपर्युक्त पत्र द्वारा उक्त सरकारी कंपनी को कुल 1584.10 एकड़ (लगभग) भूमि निहित की गई थी। कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के तहत जारी और भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), में प्रकाशित तारीख 18 मार्च, 1960 की अधिसूचना का.आ. 703 के अनुसार ग्राम-हीरापुर, रामचंद्रपुर, सूर्यमनियौर, बड़ासिंगाडा, तेंतुलई, केंदुपली, जगनबंधपुर, तहसील-तलचर, जिला-अंगुल, ओडिशा में 1584.10 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी, जिसमें से ग्राम – कोइलानगर (एचएएल आवासीय क्षेत्र) की 2.54 एकड़

[एचएएल खाता - 07 एवं प्लॉट संख्या - 133/461, 133/462, 133/464, 133/465, 133/466, 133/468, 134, 134/458, 134/459, 134/460] भूमि का उपयोग तारीख 22 अप्रैल, 2022 के नीतिगत दिशा-निर्देशों में उल्लिखित निबंधन और शर्तों की पूर्ति के अद्यधीन 99 वर्ष की पट्टा अवधि के लिए पुनर्वास स्थल हेतु किया जा सकता है।”

[फा. सं. 43022/02/2023-एलएण्डआईआर]

भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

ORDER

New Delhi, the 21st February, 2023

S.O. 800(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby make the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Coal vide letter no. C2-21(1)/60 issued on 07, May 1960:-

2. In the said Order, after terms and condition number (v), the following terms and condition shall be inserted, namely:-

“(vi) Notwithstanding clause (4), the Government company may grant the said part of land as specified in clause (vii) out of the total land so vested, on lease to any other person in accordance with the Policy Guidelines for use of land acquired under the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 issued by Government of India in the Ministry of Coal vide OM No. 43022/1/2020-LAIR dated 22nd April, 2022; and

(vii) The total 1584.10 acres (approximately) land was vested to the said Government company vide above letter dated 07 May 1960. As per notification S.O. 703 dated 18th March, 1960 issued under section 9(1) of CBA (A&D) Act, 1957 and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), the **1584.10 acres** of land was acquired in villages –Hirapur, Ramachandrapur, Suryamaniour, Badasingada, Tentulei, Kendupali, Jaganbandhpur Tahsil- Talcher, District- Angul, Odisha, out of which 2.54 acres land of village-**Koilanagar (HAL Settlement)** [HAL Khata -07 and plot numbers -133/461, 133/462, 133/464, 133/465, 133/466, 133/468, 134,134/458,134/459,134/460] can be used for Resettlement Site for a lease period of 99 years, subject to fulfillment of the terms and conditions mentioned in the Policy Guidelines dated 22nd April, 2022.”

[F. No. 43022/02/2023-LA&IR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.